राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.2(क)(विविध/परिपत्र/अलेस–I/2018 /534 दिनांक 21 अक्टूबर 2019

परिपत्र

विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमाक एफ3(ख) विविध परिपत्र/ अलेसे–II/674 दिंनाक 16 अक्टूबर 2019 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा के स्थानान्तरणाधीन कार्मिको को अपने नवपदस्थापन कार्यालय/ विभाग में कार्यग्रहण कर तीन दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों द्वारा नवपदस्थापन कार्यालय/ विभाग में कार्यग्रहण में अपेक्षित प्रगति अभी दृष्टिगोचर नहीं हुई है ।

यदि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के स्थानान्तरणधीन कार्मिक को सम्बन्धित कार्यालय/ विभाग द्वारा कार्यमुक्ति हेतु लिखित निवेदन के बावजूद सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय द्वारा दिंनाक 23.10.2019 तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो एतद् द्वारा सभी राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के स्थानान्तरणधीन कार्मिकों को निर्देश दिये जाते है कि दिंनाक 24.10.2019 को मध्याह्न पूर्व अपने वर्तमान पदस्थापित विभाग/ कार्यालय का कार्यभार छोडकर नव पदस्थापन विभाग/कार्यालय पर मध्याह्न पश्चात् कार्यग्रहण कर इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें । इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर यह मान लिया जावेगा कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का सम्बन्धित कार्मिक नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने का आदी है और राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (आचारण) के नियम 4 में कार्मिक विभाग के आदेश क्रमाक प. 4(1)कार्मिक/क–3/94 दिंनाक 17 अगस्त 2001 के अन्तर्गत विधिपूर्ण आदेशों या अनुदेशों की अवज्ञा किया जाना मानते हुये सीसीए नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सभी स्थानान्तरणाधीन कार्मिक इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः एफ.2(क)(विविध/परिपत्र/अलेस–I/2018 /534 दिनांक 21 अक्टूबर 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष संबंधित को प्रेषित कर निवेदन/लेख है कि वे राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के स्थानान्तरणधीन कार्मिकों को अविलम्ब उनके नवपदस्थापन कार्यालय/ विभाग में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कराने का श्रम करें । साथ ही निर्देशानुसार यह भी लेख है कि यदि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सम्बन्धित कार्मिक उक्तानुसार निर्देशों की पालना में स्वतः ही कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करता है तो यह उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कारवाई का आधार नहीं होगा और नियोक्ता प्राधिकारी ऐसे मामलों में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक के विरूद्ध किसी कारवाई का समर्थन नहीं करेगा ।
3. समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,/ सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II / कनिष्ठ लेखाकार विभाग/ कार्यालय संबंधित को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेशों की पालना में नवपदस्थापित विभाग/ कार्यालय में अविलम्ब कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब ई–मेल jdp1-ta-rj@nic.in एवं दूरभाष नम्बर 0141–2744134/2740735 इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें ।
4. अतिरिक्त निदेशक, (कार्मिक–II/ कार्मिक–III) कार्यालय हाजा।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. समस्त कोषाधिकारी / समस्त उपकोषाधिकारी ।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. रक्षित पत्रावली ।

(अरविन्द दीवान)
अति. निदेशक (कार्मिक–I)